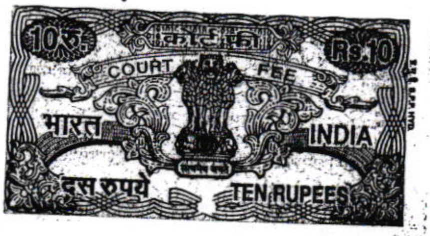

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक–   /2018 जिला सिवनी

I/अपील/सिवनी/आ०अ०/2018/0952

श्री मालांक शर्मा
द्वारा आज दि. 6-2-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 12-2-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
6-2-18

मैसर्स– एसोसिएटेड अल्कोहल्स एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, खोड़ी ग्राम, बड़वाह, जिला ~~सिवनी~~ खरगोन (म.प्र.)

.....अपीलार्थी

बनाम

1– **आबकारी आयुक्त**, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

2– **उपायुक्त आबकारी, सम्भागीय उड़नदस्ता**, जिला– जबलपुर

3– **जिला आबकारी अधिकारी**, जिला सिवनी

......प्रतिअपीलार्थीगण

न्यायालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा आदेश पृष्ठांकन क्रमांक/5(1)2017–18/3965 दिनांक 09.08.2017 के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है–

मामले के संक्षिप्त तथ्य

1– यहकि, अपीलार्थी कम्पनी देशी मदिरा का उत्पादन एवं प्रदाय का कार्य करती है। अपीलार्थी कम्पनी को वर्ष 2012–13 में देशी मदिरा प्रदाय क्षेत्र जिला सिवनी के मद्य भाण्डागारों में देशी मदिरा प्रदाय करने की अनुमति कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पत्र क्रमांक–5(1)2011–12/321 दिनांक 09.02.2012 द्वारा प्रदान की गई थी।

06/2/18
शाखा प्रभारी (रा.अ.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

2– यहकि, तथाकथित अनियमितताओं के लिए प्रदाय संविदाकार अपीलार्थी मैसर्स– एसोसिएटेड अल्कोहल्स एण्ड ब्रेवरीज लि.

XXIX(a) BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/अपील/सिवनी/आ.अ./2018/0952

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों द्वारा अवधि विधान की धारा-5 पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं उद्धरित न्याय दृष्टांतों का अवलोकन किया। यह अपील आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 09.08.2017 के विरुद्ध दिनांक 06.02.2018 को प्रस्तुत की गई है, जो प्रथम दृष्टया अवधि वाह्य है। विलंब का कारण उनके द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 09.08.2017 की प्रति रिकॉर्ड में रखकर भूल जाना बताया गया है, परंतु अपने तर्क के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा बताया गया कारण उनको समय सीमा में छूट देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसी स्थिति में यह अपील अवधि वाह्य होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	